प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.03.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर, अभियुक्त गौरव उर्फ साहिल द्वारा होटल में ले जाकर गलत काम करने एवं वादिया के वीडियो/फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर बार-बार होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने एवं अन्तिम बार वीडियो/फोटो डिलीट करने का आश्वासन देकर दिनांक 24.02.25 को ROYAL IN GUEST HOUSE HOTEL दिल्ली में ले जाकर पुनः दुष्कर्म करने एवं मारपीट करने , गाली गलौच करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की । जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-64(2)/115(2)/352/351(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभि0 साहिल उर्फ गौरव पुत्र लीम सलमानी नि0 लाला का ऑफिस निठौरा रोड़ निकट कब्रिस्तान व तालाब थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी करीब 04 वर्ष पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से वादिया से मुलाकात हुई थी, धीरे-धीरे बात करने के दौरान हमारी दोस्ती हो गयी फिर हम दोनों बाहर मिलने लगे तथा दिल्ली में कई बार उसे रेस्टोरेंट में भी ले गया था। हमारे बीच पूर्व में कई बार शारीरिक सम्बन्ध बने थे जिसकी फोटो/वीडियो बना ली थी। दिनांक 24.02.25 को मैंने पीडिता को ROYAL IN GUEST HOUSE HOTEL दिल्ली में बुलाया था। वहाँ पर मैंने वीडियो डिलीट करने का आश्वासन देकर उसके साथ गलत काम किया था, उसके पश्चात् वह वीडियो डिलीट करने के लिए कहने लगी तो मैंने मना कर दिया तो उसके विरोध करने पर मेरे द्वारा उसके साथ मारपीट , गाली गलौच व वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

साहिल उर्फ गौरव पुत्र लीम सलमानी नि0 लाला का ऑफिस निठौरा रोड़ निकट कब्रिस्तान व तालाब थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा पटाखे बनाने की अवैध सामग्री व उपकरण सहित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

दिनांक 02.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी मण्डोला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नानू में एक बन्द पडे मैरिज हॉल में अवैध तरीके से मिश्रित आतिशबाजी / पटाखो का निर्माण का कार्य करने वाले अभियुक्तगण 1. दीपक पुत्र शिवकुमार नि. ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष 2. सागर पुत्र दीपक नि. ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को

गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से पटाखे बनाने का मिश्रित पाउडर 20 किग्रा0 , 03 पंचिंग मशीन, 2000 पीस खाली नकली कागज, अर्ध निर्मित पटाखा (बायरो) 150 पीस, पैकिंग गत्ते 30 पीस, एक बाल्टी प्लास्टिक फेवीकोल आधी भरी, सेलो टेप चिपकाने की मशीन 02 पीस बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर मु0अ0स0 107/2025 धारा 288/125 बीएनएस व 9(बी)1(बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम अपने मैरिज हॉल में पटाखे बनाने के उपकरण से अवैध रूप से पटाखे तैयार कर अलग अलग मार्का लगाकर जगह जगह बेच देते है जिससे हमें काफी मुनाफा होता है। अवैध रूप से पटाखे बनाकर बेचने से प्राप्त मुनाफे से हम अपना खर्चा चलाते है। हमारे पास इसका कोई लाईसैन्स भी नही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. दीपक पुत्र शिवकुमार नि. ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद, उम्र 42 वर्ष
2. सागर पुत्र दीपक नि. ग्राम नानू थाना ट्रोनिका सिटी जिला गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दीपक के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है जिसमें से एक अभियोग मारपीट व गाली गलौच करना व 01 अभियोग धोखाधडी कर रंगदारी मांगना व 01 अभियोग अवैध पटाखो का निर्माण करना व अभियुक्त सागर के विरूद्ध अवैध पटाखो का निर्माण करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

पटाखे बनाने का मिश्रित पाउडर 20 किग्रा0 , 03 पंचिंग मशीन, 2000 पीस खाली नकली कागज, अर्ध निर्मित पटाखा (बायरो) 150 पीस, पैकिंग गत्ते 30 पीस, एक बाल्टी प्लास्टिक फेवीकोल आधी भरी, सेलो टेप चिपकाने की मशीन 02 पीस।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 03 शातिर लुटेरों को लूटे गये 60600 रुपये, घटना में प्रयुक्त के0टी0एम0 ड्यूक मोटर साईकिल व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 02.03.2025 को समय 22.45 बजे थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर लुटेरे अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र इकबाल निवासी अमन गार्डन पानी की टंकी के पास अशोक विहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद, 2. लक्की वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा निवासी डी-186/1 गली नं 05 निकट हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल थाना भजनपुरा दिल्ली, 3. गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र मो0 फारूख निवासी गली नं0 03 डी ब्लांक श्रीराम कालोनी थाना खजूरी खास दिल्ली 94 को जनपद गाजियाबाद में अलग- अलग शादियों में लूट की घटनाओं से लूटे गये कुल 60600 रुपये, 01 जोडी चांदी की चुकटी, 01 जोडी चांदी की पाजेब तथा लूट में इस्तेमाल की गई के0टी0एम0 ड्यूक मोटर साईकिल के साथ कीकडों के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर पूर्व से मु0अ0सं0 79/25 धारा 309(4),61(2), 317(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा माल बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 098/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम सभी मिलकर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली (एनसीआर) में अलग-अगल स्थानों से लूट की घटना करते थे। हम लोग बारात चढने के समय दुल्हे के पिता या जिम्मेदार रिश्तेदार जिसके हाथ में रुपयों का बैग होता था, को छीन कर लूट करते थे तथा फिर लूटे गये रुपयों व अन्य सामान को आपस में बांट लेते थे। लूट की घटना कारित करते समय हम लोग केटीएम बाईक जिसका नम्बर DL10AB9795 है का इस्तेमाल करते थे तथा पहचान छिपाने के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से मोटर साईकिल की पीछे की नम्बर प्लेट तोड रखी थी तथा आगे बहुत छोटी नम्बर प्लेट लगा रखी थी। अभियुक्त लक्की वर्मा उपरोक्त ने पूछने पर इसने बताया कि मै थाना शालीमार गार्डन, थाना साहिबाबाद व थाना अंकुर विहार की घटना में गुड्डू उर्फ सादाब के साथ था तथा समीर ने पूछने पर बताया कि थाना लोनी बोर्डर तथा थाना लोनी क्षेत्र की शादियों की लूट में मै अपने साथियों के साथ शामिल था। सभी ने शादियों की लूट की घटना स्वीकार की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. समीर पुत्र इकबाल निवासी अमन गार्डन पानी की टंकी के पास अशोक विहार थाना लोनी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब-20 वर्ष
2. लक्की वर्मा पुत्र सुभाष वर्मा निवासी डी-186/1 गली नं 05 निकट हैप्पी टाइम पब्लिक स्कूल थाना भजनपुरा दिल्ली, उम्र करीब-30 वर्ष
3. गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र मो0 फारूख निवासी गली नं0 03 डी ब्लांक श्रीराम कालोनी थाना खजूरी खास दिल्ली 94, उम्र करीब-20 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम पता-

गुड्डू उर्फ सादाब पुत्र शेख अफसर निवासी मकान नं0 70 डी ब्लाक गली नं0 03 खजूरी थाना खजूरी खास दिल्ली

बरामदगी का विवरण

1. कुल 60,600 रूपये (थाना अंकुर विहार, थाना लोनी, थाना लोनी बोर्डर, थाना साहिबाबाद, थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में की गई घटनाओं से सम्बन्धित)
2. 01 जोडा चांदी की चुकटी
3. 01 जोडी चांदी की पाजेब
4. 01 मोटरसाइकिल केटीएम ड्यूक रजि0 न0 DL10AB9795 (सीजशुदा)
5. 01 बैग जिसमें रखे शादी के कार्ड व वादी के ममेरे भाई का मूल आधार कार्ड

आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त समीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार, थाना शालीमार गार्डन, थाना लोनी, थाना लोनी बोर्डर व थाना साहिबाबाद पर लूट के 01-01 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त गुलफाम उर्फ गुल्लू उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार, थाना शालीमार गार्डन, थाना लोनी, थाना लोनी बोर्डर व थाना साहिबाबाद पर लूट के 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

3. अभियुक्त लक्की उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार, थाना शालीमार गार्डन, थाना लोनी, थाना लोनी बोर्डर, थाना साहिबाबाद व थाना टीलामोड पर लूट के 01-01 अभियोग तथा बरामदगी का 01 अभियोग थाना टीलामोड पर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त, ग्रामीण जोन

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 03.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना कि वादी के छोटे भाई शिवम उर्फ छोटू उम्र करीब 25 वर्ष जो गली नं0 10 भीमनगर गाजियाबाद मे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ किराये के मकान में रहता था तथा गुडगांव में शराब की कैन्टीन में नौकरी करता था कुछ दिन पहले वादी के भाई शिवम उर्फ छोटू का उसके दोस्तो गौतम, रंजीत व मनीष से पैसे के लेनदेन को लेकर झगडा हुआ था कल दिनांक 02/03/25 को वादी का भाई गुडगांव से छुट्टी लेकर घर आया था कल शाम के समय करीब 04 बजे वादी के भाई के दोस्त मनीष उर्फ पुच्ची उसको घर से बुलाकर ले गया था और गली नं0 4 क्रिशिचयन नगर बागू ले जाकर अपने अन्य साथी गौतम पुत्र पीतम सिंह तथा रंजीत पुत्र भूरे सिंह को भी बुला लिया और तीनो ने आपस में षडयन्त्र करके वादी के भाई शिवम की लगभग 9 बजे रात को चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 103(1)/61(2) बीएनएस मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तो की तलाश हेतु टीमो का गठन किया गया।

दिनांक 03.03.2025 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त (1) मनीष उर्फ पुच्ची पुत्र लेखराज निवासी रोजवैली पब्लिक स्कूल के पास किराये का मकान बाईपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष (2) गौतम पुत्र पीतम निवासी 20 फुटा रोड बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष व (3) रंजीत पुत्र भूरे लाल निवासी गांव हाजीपुर खजूरिया थाना फरीदपुर बरेली हाल पता किराये का मकान गली न0 01 बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त गौतम ने पूछताछ पर बताया गया कि मृतक शिवम उर्फ छोटू की मनीष उर्फ पुच्ची से दोस्ती थी, मुझे मनीष उर्फ पुच्ची से अपनी बहन के साथ दोस्ती होने का शक हुआ था, जिसको क्लीयर करने के लिए मेरे द्वारा मृतक शिवम उर्फ छोटू को मनीष उर्फ पुच्ची को लेकर आने के लिए कहा गया तथा वहां हम सब लोग मौजूद थे तथा मैने अपने दोस्त रंजीत को भी वहां पर बुला लिया था। बातो बातो मे शिवम उर्फ छोटू ने मेरी बहन के बारे मे गलत शब्दो का इस्तेमाल किया जिससे काफी झगडा बढ गया और गुस्से मे हम तीनो ने उसे मारपीट कर वही गिरा लिया और मैने पहले से अपनी जेब मे रखे पेचकस से शिवम उर्फ छोटू के कई बार उसके सीने व पेट पर वार किये थे और हम सभी लोग उसे मरा समझकर वहां से भाग गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

(1) मनीष उर्फ पुच्ची पुत्र लेखराज निवासी रोजवैली पब्लिक स्कूल के पास किराये का मकान बाईपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।
(2) गौतम पुत्र पीतम निवासी 20 फुटा रोड बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
(3) रंजीत पुत्र भूरे लाल निवासी गांव हाजीपुर खजूरिया थाना फरीदपुर बरेली हाल पता किराये का मकान गली न0 01 बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्ल पेचकस।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन स्नैचिंग / छीनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग/ छीनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 02.03.2025 को थाना साहिबाबद पर वादी श्री प्रमोद चन्द्र पुत्र प्रभात चन्द्र निवासी म0नं0 311, सत्यम एन्कलेव राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात व्यक्ति द्वारा राजबाग मैट्रो स्टेशन के पास से मेर हाथ में से मोबाइल फोन छीन कर भाग गये है।

तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अन्तर्गत धारा 304(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर, मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटज व मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 03.03.2025 को मोबाइल फोन स्नैचिंग / छीनैती की घटता कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. साहिल पुत्र दिनेश कुमार निवासी म0नं0 686, ब्लॉक-3 दक्षिणपुरी एक्सटेशंन, पुष्पा भवन दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष, 2. निखिल कुमार पुत्र अजय भगवानी निवासी G-318 पुरानी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष को अम्बेडकर पार्क के पास आराधना चौकी क्षेत्र पाइप मार्केट थाना साहिबाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से स्नैचिंग / छीनैती का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त साहिल पुत्र दिनेश कुमार व निखिल कुमार पुत्र अजय भगवानी के विरुद्ध धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ौत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व निखिल कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनो अभियुक्तगण के द्वारा उक्त मोबाइल फोन को दिनांक 01.03.2025 को राजबाग मैट्रो स्टेशन के पास से वादी प्रमोद चन्द्र के हाथ से छीनकर मोटर साइकिल से भाग गये थे आज दिनांक 03.03.2025 को दोनो अभियुक्तगण अम्बेडकर पार्क के पास आराधना चौकी क्षेत्र पाइप मार्केट थाना साहिबाबाद के पास उक्त मोबाइल फोन को चलते फिरते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेचने की फिराक में खड़े थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. साहिल पुत्र दिनेश कुमार निवासी म0नं0 686, ब्लॉक-3 दक्षिणपुरी एक्सटेशंन, पुष्पा भवन दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।
2. निखिल कुमार पुत्र अजय भगवानी निवासी G-318 पुरानी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त साहिल व निखिल कुमार के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर स्नैचिंग / छीनैती का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

- स्नैचिंग का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।